जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर (म.प्र.)

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

अध्याय–1

*

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के क्रियान्वयन हेतु विभागीय व्यवस्था

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005

अध्याय– 1

1.1 ''वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार'' विभाग के अंतर्गत 'सूचना के अधिकार अधिनियम 2005' के अंतर्गत विभागीय नियमावली, जानकारी, रोजगार मूलक योजनाओं व जिला स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से जन सामान्य को अवगत कराने का प्रयास इस अभिलेख के द्वारा किया जा रहा है ।

1.2 इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कृत्यों को पारदर्शिता के साथ जन सामान्य के अवलोकनार्थ रखा जाता है ।

1.3 यह अभिलेख जन सामान्य व विभाग से जुडे हितग्राहियों/उद्यमियों के लिये उपयोगी है ।

1.4 जिला स्तर पर विभाग का संगठनात्मक ढ़ाचा निम्नानुसार है ।

कार्यालयीन व्यवस्था हेतु

सूचना प्राप्त करने हेतु

महाप्रबंधक (कार्यालय प्रमुख)

श्री सी.एस.पी.शुक्ला
सहायक वर्ग–3
(आवेदन प्राप्तकर्त्ता लिपिक)

प्रबंधक
सहायक प्रबंधक
लिपिक वर्गीय स्टाफ

श्री एस.पी.मिश्रा
(सहायक प्रबंधक)
सहा.लोक सूचना अधिकारी
श्री यू.एस.अग्रवाल
(प्रबंधक)
लोक सूचना अधिकारी
श्री एस.के.पाण्डे
(महाप्रबंधक)
प्रथम अपीलीय अधिकारी

1.5 प्रस्तुत अभिलेख में विभागीय संगठनात्मक ढ़ांचा, नियम, निर्देश, नीति, विभागीय योजनायें, उपलब्ध अभिलेख, अनुदान सुविधायें, बजट आबंटन, व व्यय आदि की जानकारी संकलित है । अभिलेख के अतिरिक्त अन्य जानकारी हेतु कार्यालय में प्रबंधक सूचना से संपर्क किया जा सकता है ।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर (म.प्र.)

*

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के तहत धारा 4(1) बी के अंतर्गत
17 बिन्दुओं पर विभागीय जानकारी

अध्याय—2

मैनुअल–1

*

संगठन की विशिष्टयां,
कृत्य एवं कर्त्तव्य

4.1(बी)(1) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्त्तव्य

1.1 विभाग के उद्‍देश्य :

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का मुख्य उद्‍देश्य व्यापार एवं उद्योगों का विकास तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार को सुगम बनाना है ।

1.2 विभाग का मिशन/विजन :

क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समुति दोहन कर वाणिज्यिक एवं औधेगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना कर क्षेत्र को आर्थिक रूप से समद्व बनाना, बेरोजगारी दूर करने में सहयोग करना एवं बेरोजगारी के कारण महानगरों की ओर हो रहे पलायन को रोकते हुये मानव ऊर्जा का क्षेत्रीय विकास में अधिकतम् उपयोग करना ।

1.3 विभाग का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :

स्वतंत्रता पार्टी के पश्चात 1 नबंबर 1956 को म.प्र. की स्थापना के साथ प्रदेश में वाणिज्यिक और औघोगिक गतिविधियों के विस्तार हेतु वर्ष 1956 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का गठन किया गया । वर्ष 1978 में प्रदेश के सभी जिलों में ''जिला उद्य़ोग केन्द्र'' की स्थापना कर विभाग को नया स्वरूप प्रदान किया गया । विभाग के विकास की निरंतर प्रक्रिया में वर्ष 1998 में वाणिज्यिक गतिविधियों का समावेश किया गया तथा बेरोजगारी उन्मूलन में विभाग के महत्व को देखते हुये शासन द्वारा वर्ष 2004 में राजगार को शामिल करते हुये वर्तमान में वाणिज्यि उद्योग एवं रोजगार विभाग के रूप में कार्यरत है ।

1.4 विभाग के कर्त्तव्य :

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औघोगिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से अग्रणी बनाने के उद्‍देश्य से विभाग के प्रमुख कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं –

- लद्यु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विकास के लिये सुबिधाजनक वातावरण निर्मित करना ।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर प्रशासन को ''उद्योग मित्र'' बनाना ।
- स्थानीय संसाधनों एवं वर्तमान औधोगिक आधार को दृष्टिगत रखते हुये औद्योगीकरण को दिशा प्रदान करना ।
- विभिनन रोजगार मूलक योजनाओं को समाहित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना ।
- गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर संतुलित क्षेत्रीय विकास करना ।
- उद्योगों में रूग्णता दूर करने के लिये विशेष काय्रक्रम बनाना ।

1.5 विभाग के मुख्य कार्य :

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थापना एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है ।

- औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु अद्योसंरचना विकास संबंधी सुबिधायें उपलब्ध कराना ।
- औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
- इकाईयों को विभिन्न सुबिधायें जैसे विद्युत कनेक्सन, कचा माल, विपणन सुबिधा आदि उपलब्ध कराना ।
- शासन द्वारा घोषित विभिन्न अनुदान सुबिधायें उपलब्ध कराना ।
- विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
- विभागीय योजनाओं व स्वराजगार योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर संगोष्ठी, कार्यशाला एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

1.6 विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :

विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु निम्न प्रमुख सेवायें प्रदान की जाती हैं –

अ. लघु उद्योगों का पंजीयन

(1) <u>प्रस्तावित पंजीयन</u>

औद्योगिक इकाईयों को स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना अनुसार प्रस्तावित पंजीयन किया जाता है ।

(2) <u>स्थायी पंजीयन</u>

इकाई के उत्पादन में आने के पश्चात स्थायी पंजीयन किया जाता है ।

ब. लघु उद्योगों को बुनियादी सुबिधायें

(1) <u>भूमि उपलब्ध कराना</u>

विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र संस्थान में भूमि उपलब्ध होने पर लघु उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार सस्ती दरों पर भूमि लीज पर उपलब्ध करायी जाती है ।

(2) <u>नियंत्रित/दुर्लभ कच्चा माल प्रदाय करने की अनुशंसा</u>

औद्योगिक इकाईयों को लगने वाले नियंत्रित/दुर्लभ कच्चे माल के प्रदाय हेतु विभागीय नियमानुसार संबंधित आपूर्तिकर्त्ता विभाग/संस्था को इकाई के पक्ष में अनुशंसा की जाती है ।

स. लघु उद्योगों को अनुदान, सहायता/सुबिधायें

(1) <u>राज्य लागत पूंजी अनुदान</u>

उद्योग संबर्धन नीति 2004 के अनुसार पात्र इकाईयों को उनके स्थायी पूंजी विनियोजन पर अनुदान सुबिधा उपलब्ध करायी जाती है ।

(2) <u>ब्याज अनुदान</u>

पात्र इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय टर्मलोन पर नियमानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है ।

(3) <u>परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति</u>

लघु उद्योग इकाईयों द्वारा तैयारी करायी गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हुये व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है ।

(4) <u>वाणिज्यिक कर मुक्ति</u>

रूपये एक करोड से अधिक स्थायी पूंजी विनियोजन वाली इकाईयों को पात्रतानुसार/नियमानुसार वाणिज्यिक कर से छूट सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

(5) <u>प्रवेश कर मुक्ति</u>

नयी औद्योगिक इकाईयों को प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से पॉच वर्ष तक प्रवेश कर मुक्ति की सुबिधा प्रदान की जाती है ।

द. स्वरोजगार स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन

(1) <u>प्रधानमंत्री रोजगार योजना</u>

कक्षा आठवी/आई.टी.आई. उर्त्तीण ऐसे युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय रू. 40000/- तक है, को उद्योग, सेवा व व्यवसाय गतिविधियों के लिये अधिकतम् रू. 2.00 लाख तक का ऋण पात्रता अनुसार राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ।

(2) <u>दीनदयाल रोजगार योजना</u>

हाईस्कूल/आई.टीआई. उत्तीर्ण ऐसे युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय रू. 1.50 लाख तक है को उद्योग, सेवा व व्यवसाय गतिविधियों के लिये पात्रता अनुसार ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । जिनमें शासन के नियमानुसार मार्जिन राशि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

(3) <u>रानी दुर्गावती योजना</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा आठवीं उत्तीर्ण युवाओं को विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं में वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाले ऋण में हितग्राही से अपेक्षित मार्जिन राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा अनुदान स्वरूप की जाती है ।

सामान्य ऋण योजना में मार्जिन राशि स्वीकृत परियोजना राशि का अधिकतम् 33 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है ।

ई सामान्य ऋण योजना

लद्यु उद्याोगों की प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को सामान्य ऋण योजना अंतर्गत ऋण प्रकरण प्रेषित किये जाते हैं ।

1.7 विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

प्रमुख सचिव
वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार

↓

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय

↓

संचालक, व्यापार एवं लद्यु उद्योग

↓

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
(महाप्रबंधक)

↓

प्रबंधक

↓

सहायक प्रबंधक

↓

कार्यालयीन स्टॉफ

1.9 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

(1) अनुश्रवण

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा समय–समय पर कार्यालय में महाप्रबंधक के द्वारा, जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा एवं प्रदेश स्तर पर उद्योग आयुक्त द्वारा की जाती है ।

(2) शिकायतों का निराकरण

जन शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यालय में ''शिकायत निवारण प्रकोष्ठ'' की व्यवस्था है । कार्यालय में प्राप्त होने वाली अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण महाप्रबंधक के द्वारा किया जाता है ।

1.9 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :

विभाग का मुख्य कार्यालय जिला स्तर पर है । तहसील/जनपद स्तर पर विभाग का वर्तमान में कोई कार्यालय नही है ।

कार्यालय का पता

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
नोगॉव रोड, छतरपुर (म.प्र.)
पिन – 471 001

दूरभाष

कार्यालय – 07682 248238
निवास – 07682 241884

1.10 कार्यालय का खुलने का समय :

प्रातः 10:30 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय

सांयः 5:30 बजे

अध्याय—2

मैनुअल–2

*

अधिकारियों और कर्मचारियों की
शक्तियां एवं कर्त्तव्य

3.1 विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य का विवरण निम्नानुसार है –

<u>पद का नाम – महाप्रबंधक</u>

शक्तियां	प्रशासकीय	1. कार्यालय संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण 2. राजपत्रित वर्ग–2 तक के अवकाश स्वीकृति के अधिकार
	वित्तीय	1. भविष्य निधि आंशिक आहरण/अग्रिम स्वीकृति के अधिकार 2. यात्रा भत्ता/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अधिकार 3. कार्यालयीन व्यय स्वीकृति के अधिकार 4. ब्याज अनुदान स्वीकृति के अधिकार 5. परियोजना व्यय प्रतिपूर्ती स्वीकृति के अधिकार
	अन्य	1. औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में 5 एकड तक भूमि आबंटन के अधिकार 2. लद्यु उद्योगों का स्थायी पंजीयन/अपंजीयन के अधिकार
कर्त्तव्य	1. औद्योगिक इकाईयों के विकास संबंधी कार्य 2. रोजगार मूलक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन 3. लद्यु इकाईयों को वित्तीय व अन्य सुबिधाएं दिलाना	

पद का नाम – प्रबंधक

शक्तियां	प्रशासकीय	–
	वित्तीय	–
	अन्य	1. लद्यु इकाईयों का प्रस्तावित पंजीयन व अन्य 2. लद्यु इकाईयों के पक्ष में नियमानुसार वित्तीय सुबिधाओं की अनुशंसा करने का अधिकार
कर्त्तव्य	1. औद्योगिक इकाईयों के विकास हेतु उद्यमियों को प्रेषित करना । 2. बेरोजगार युवाओं को क्षमतानुसार स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण कराना । 3. उद्यमियों को पात्रता अनुसार वित्तीय व अन्य सुबिधाएं दिलाने हेतु प्रकरण तैयार करना । 4. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्यों का निष्पादन करना ।	

पद का नाम – सहायक प्रबंधक

शक्तियां	प्रशासकीय	–
	वित्तीय	–
	अन्य	1. लद्यु उद्योग इकाईयों के स्थायी पंजीयन, कच्चा माल आपूर्ति, अनुदान सुबिधाओं, बैंक ऋण प्रदान कराने हेतु अनुशंसा करना ।
कर्त्तव्य	प्रबंधक के कर्त्तव्यों के अनुसार	

अध्याय—2

मैनुअल–3

*

निर्णय लेने की प्रक्रिया

4.1(बी)(3)

"The Procedure followed in the decision making process, including Chennels of supervision and accountability"

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्राप्ति तथा उसके निराकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है । प्राप्त आवेदन के निराकरण की सूचना हितग्राही को दी जाती है ।

योजना विवरण	आवेदन प्राप्ति	आवेदन परीक्षण	अग्रिम कार्यवाही/ निरीक्षण	पात्रता परीक्षण व अनुशंसा	अंतिम निर्णय
1. लघु उद्योगों का पंजीयन					
(अ) प्रस्तावित पंजीयन	आवक कक्ष सहायक	संबंधित कक्ष सहायक	–	–	प्रबंधक
(ब) स्थायी पंजीयन	–"–	–"–	सहायक प्रबंधक /प्रबंधक	–	महाप्रबंधक
2. लघु उद्योगों को बुनियादी सुबिधायें					
(अ) भूमि का आबंटन	–"–	–"–	–	प्रबंधक	महाप्रबंधक
(ब) कच्चा माल अनुशंसा	–"–	–"–	सहा.प्रबंधक /प्रबंधक	महाप्रबंधक	आपूर्तिकर्त्ता संस्था
3. लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता					
(अ) राज्य लागत पूंजी अनुदान	–"–	–"–	सहा.प्रबंधक /प्रबंधक	महाप्रबंधक	जिला स्तरीय सहायता समिति
(ब) वाणिज्यिक कर मुक्ति/प्रवेश कर	–"–	–"–	सहा.प्रबंधक/ प्रबंधक	महाप्रबंधक	––"––
(स) परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति	–"–	–"–	–	प्रबंधक	महाप्रबंधक/ उद्योग आयुक्त
(द) ब्याज अनुदान	–"–	–"–	–	प्रबंधक	महाप्रबंधक
4. स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रकरणों का प्रेषण					

(अ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना (ब) रानी दुर्गावती योजना (स) सामान्य ऋण योजना	–''– –''– –''–	–''– –''– –''–	– – –	जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति महाप्रबंधक महाप्रबंधक	संबंधित वित्तीय संस्था ––''–– ––''––
5. स्वरोजगार योजनाओं में मार्जिन मनी स्वीकृति (अ) दीनदयाल रोजगार योजना (ब) रानी दुर्गावती योजना	––''–– ––''––	––''–– ––''––	– –	महाप्रबंधक महाप्रबंधक	जिला स्तरीय समिति (रू. 50000/– तक) कलेक्टर/उद्योग आयुक्त (रू. 50000/– से अधिक)
6. अन्य विभागों को विभिन्न अनुशंसायें	––''––	––''––	–	महाप्रबंधक	संबंधित विभाग

अध्याय—2

मैनुअल–4

*

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्थापित मानक/नियम

4.1(बी.)(4) "The Norms set by it for the discharge of its functions"
विभाग की उत्तरदायी एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली (सिटीजन चार्टर)

गतिविधि योजना का नाम	प्रभारी / विदित अधिकारी	निपटारे की समयसीमा
1. प्रस्तावित पंजीयन	प्रबंधक	उसी कार्य दिवस
2. स्थायी पंजीयन	महाप्रबंधक	7 दिवस
3. भूमि / शेड आबंटन प्रक्रिया (उपलब्ध होने पर) अ. आशय पत्र जारी करना ब. आबंटन आदेश जारी करना (औपचारिकतायें पूर्ण होने पर) स. पट्टाभिलेखों का निष्पादन	 महाप्रबंधक महाप्रबंध्क महाप्रबंधक	 1 दिवस 1 दिवस 7 दिवस
4. वित्तीय सहायतायें अ. राज्य लागत पूंजी अनुदान ब. प्रबेश कर / वाणिज्यिक कर छूट प्रमाण पत्र स. परियोजना प्रतिपूर्ति द. ब्याज अनुदान	 जिला स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति महाप्रबंधक महाप्रबंधक	 30 दिवस 30 दिवस 30 दिवस 7 दिवस
5. ऋण अनुशंसायें अ. स्वरोजगार योजनाओं में ब. सामान्य ऋण योजना	 टास्क फोर्स समिति महाप्रबंधक	 30 दिवस 30 दिवस
6. मार्जिन मनी स्वीकृति (स्वरोजगार योजनाओं में)	जिला स्तरीय समिति कलेक्टर / उद्योग आयुक्त	15 दिवस (रू. 50000 तक के प्रकरणों में) 30 दिवस (रू. 50000 से अधिक के प्रकरणों में)
7. अन्य अनुशंसायें (विद्युत /टेलीफोन कनेक्सन)	महाप्रबंधक	1 दिवस
8.अ. प्रदूषण संबंधी अनापत्ति .ब. प्रदूषण निवारण मंडल को अनुशंसा	महाप्रबंधक महाप्रबंधक	1 दिवस 3 दिवस

<u>टीप :</u> निर्धारित समय सीमा में निराकरण न होने पर संचालक लद्यु उद्योग निगम को शिकायत की जा सकती है । शिकायत निराकरण की समय सीमा 15 दिवस है ।

अध्याय—2

मैनुअल–5

*

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

5. कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :

लोक प्रधिकारण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर वर्णित हैं ।

संलग्न : परिशिष्ट 'अ' अनुसार

अभिलेख का नाम .... अभिलेख का प्रकार ....

निम्न में से किसी एक प्रकार की चुने

(नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता	:	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर
दूरभाष	:	248238
फैक्स	:	—
ई—मेल	:	—
अन्य	:	—

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो तो) —

अभिलेख की प्रति में होने वाला आवश्यक व्यय

परिशिष्ट 'अ'

क्र.	अभिलेख का नाम	प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
1	इण्डस्ट्रीज मेनुअल 1,2 एवं 3	नियम/अनुदेश एवं अधिसूचनाएं	भारत शासन एवं म.प्र.शासन के विधि नियम, आदेश अधिसूचनाओं एवं निर्देशों की जानकारी
2	एक्सम्सन न्यू यूनिट इन म.प्र.	नियम/अनुदेश एवं अधिसूचनाएं	लघु उद्योगों को म.प्र. में मिलने वाली सुबिधाओं से राज्य लागत अनुदान, वाणिज्य कर, एन्ट्री कर एवं व्याज अनुदान की सुबिधाओं हेतु नियम/ अनुदेश
3	म.प्र. उद्योग (शेड प्लाट एवं भूमि आबंटन) नियम 1974 (1.7.99 तक संशोधित)	भूमि शेड आबंटन नियमावली (निर्देशिका)	उद्यमियों को म.प्र. में भूमि शेड आबंटन की प्रक्रिया की नियमावली, अनुदेश एवं समय समय पर संशाधनों की जानकारी
4	उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना	म.प्र.शासन द्वारा घोषित नीति	म.प्र.शासन द्वारा समयवद्ध नीति के अंतर्गत दी जा सकने वाली सुबिधाओं/पात्रताओं की जानकारी हेतु नियम निर्देश
5	उद्योग मित्र योजना 2004	नियम अनुदेश एवं अधिसूचना	औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में स्थापित इकाईयों की भूमि/शेड संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु नियमावली
6	प्रधानमंत्री रोजगार योजना नीति नस्ती	नियम एवं अनुदेश	योजना से संबंधित शासन की नीति निर्देश क्रियान्वयन नियम एवं आदेश
7	रानी दुर्गावती (अजा,अजजा) स्वरोजगार योजना	नियम एवं अनुदेश निर्देशिका	योजना से संबंधित शासन की नीति निर्देश क्रियान्वयन नियम एवं आदेश
8	अनु.जा./अनु.ज.जा. वर्ग के उद्यमियों/विक्रेताओं/संस्थानों/ उत्पादों को शासकीय क्रम में प्राथमिकता प्रावधान	नियम एवं अनुदेश निर्देशिका	योजना (भण्डार क्रय नियम) से संबंधित शासन की नीति निर्देश क्रियान्वयन एवं आदेश एवं नियमावली
9	दीनदयाल रोजगार योजना	आदेश/नियम/ अनुदेश	योजना से संबंधित शासन की नीति निर्देश क्रियान्वयन एवं नियमावली

कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न क्रिया कलापों में लगने वाले आवेदन पत्र एवं उनके संलग्नक निम्नानुसार है –

FORMATE OF APPLICATION

(For Clamming State caital Subsity by the New Unit)

1. Name of the Applicant and Address : ....
   ....
2. Constitution : ....
3. Location of the unit/ undertaking   Place   Block   District

(a) Existing

(b)

4. Registration   No.&date   Item   capacity

(a) SSI Registration :
   - (i) Provisional :
   - (ii) Permannent :

(b) Any other authority
   - (i) Drug controller :
   - (ii) Excise commisoner :
   - (iii) Salse Tax Region -   Central :
     State :
   - (iv) Other :

   Please furnish copy/copies of the licence/registration on certificate etc. under col.4.)

5. Date of connenement of production :

(i) Partial production (if started) full production.
   ....

(ii) Probable date of commencement of production, if partial or full production not started.
   ....

6. Products proposed/ manufactured.

(a) Name of the products :

(b) Annual capacity -
   - (i) Quantity :
   - (ii) Value in Rs. :

7. Cost of project furnish the copy of the latest project reports : ....
   ....

(A) Fixed capital (in Rs.)
   - (i) Land :

(ii) Building :

(iii) Plant & Machinery -

(a) Indiajenious :

(b) Imported :

(B) Other fixed assecs : ....

....

Total : ....

(C) Working Capital : Rs. ....

Grand Total ....

8. Source of finance -

(a) Own funds : ....

(b) Loans -

(i) M.P.Financial corporration : ....

(ii) Name of the Banks : ....

(iii) Director of industries : ....

(iv) Others : ....

....

(These total should tally with the total in the list column under item no. 7 above)

9. Apprisal of project first admited by finincial institution/Banks :

(A) Fixed assets -

(i) Land :

(ii) Building

(iii) Plant and mechinery

(iv) Other fized assets :

(v) Contigencies :

(B) Working capital : ....

Total : ....

10. Machinery on hire purchase procured/ to beprocured :

Number of the mant & mach value

Institution tobe procured

11. Magnitute of offective step taken Evidence

(i) Value of land acquored :

(ii) Value of machines obtained out of the orders palced

12. Details fixed capital investment position as on -

	Total Expenditure proposed excluding working capital	Expenditure incurred on fixed assets actually acquired before 2.4.81	Inckely total expenditure proposed
a. Land b. Buildings & Electrical installation c. Plant and mechinery d. Tools, jiga, dies, moulds etc. e. Goods carriers f. Other fixed assets g. Contigencies			
Total			

13. Physical progress as on : ....

(a) Land (Rented/leased/Purchesed) :

(b) Building (Rented/leased/Construction) :

(c) Plont and mechinory :

14. Employment -

(a) managerial :

(b) Supervisery /Techinical

(c) Workers - Skilled :

Semi skilled :

Un skilled :

(d) Others :

15. Proposed /actual requirement of

(a) Water :

(b) Electricial power with consent of M.P.E.B.

(c) furnace oil, etc.

I/ We .... Name (S) ....
.... being the proprietor /partner /managing director / othersied attornay, etc. Hereby certify that the information as given above is true and correct to the best of my/ our knoledge the belief.

Place :

Date : (Signature of the applicant)

Name & Designation

ANNEXURE - V

Details of fixed capital investment should be given in the following profarma. (Please refer to saction ....)

A.

Land	Date of purchase	value of purchaase

B.

Building	Date of complection of building/ or	Value sa per engineer's certificate	Amount spent on building upto

C. Plant and mechaniory :

S. No.	Dated value of firm order placed	date of purchase	Item purchase	Value	When instal	Value of remaing machines item wise	probable date of supply of remaining machines
1	2	3	4	5	6	7	8

——0——

"फार्म–क"

वाणिज्यक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3(24)/विक/पांच(112), दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अधीन प्रवेश कर के भुगतान की सुविधा हेतु मुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन :–

मैं .... (व्यवसायी का नाम) मध्य प्रदेश विक्रयकर अधिनियम 1958 के अधीन पंजीयन क्रमांक .... का धारक ने .... (स्थान) पर .... इकाई का नाम) नाम से मध्य प्रदेश के जिलों में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है (स्थान) में स्थापित विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्ताार किया है, जिसके संबंध में विशिष्टयां दी जा रही हैः–

1– मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग निगम द्वारा इस आशय हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा औद्योगिक इकाई को एक नई औद्योगिक इकाई/ विद्यमान इकाई में विस्तार करने वाली इकाई प्रमाणित किया गया है –

2– नयी औद्य़ोगिक इकाई/विद्यमान इकाई औद्योगिक इकाई में विस्तार की क्षमता स्थापित क्षमता –

3– नई औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता में स्थिर आस्थियों में पूंजी निवेश–

4– नई औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता में विनिर्मित उत्पादों की विशिष्टियॉं

5– विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग अथवा विवरण माल का मात्रा अनुषांगिक माल

के रूप में उपयोग अथवा निर्मित नाम माल की पैकिंग में उपयोगके लिये माल की विशिष्टियाँ—

विवरण

1. कच्चा माल ——————————————
2. आनुशषांगिक माल ——————————————
3. पैकिंग सामान ——————————————

6— ऊपर वर्णित में से किसी भी कच्चे माल का प्रथम क्रय का दिनांक

7— नयी औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक—

आवेदक निवेदन करता है है कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए—3(4) 94—विक (112), दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अधीन कर के भुगतान से मुक्ति की सुविधा के लिये उक्त अधिसूचना की अधीन पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया जाये।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

——0——

विक्रय मुक्ति/आस्थगन/प्रवेश मुक्ति/राज्य लागत पूँजी अनुदान
आवेदन संबंधी चेक लिस्ट

---

1. आवेदन का फार्म निर्धारित प्रारूप में नहीं है/घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है
2. आवेदन फार्म के कालम नं. अपूर्ण है।
3. घोषणा पत्र अपूर्ण है गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है।
4. मार्टनरशिप डेड, फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति, मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल आफ ऐसोसियन की प्रति।
5. जनरल पावर आफ एब्रर्नी/बोर्ड रिजोल्यूशन।
6. 5/–के स्टाम्प परा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्म पत्र नहीं दिया है।
7. लद्यु उद्योग से प्रस्तावित पंजीयन/स्थायी पंजीयन की प्रति।
8. लद्यु केन्द्रीय एवं राज्य विक्रयकर के स्थायी पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र पर पीछे लेख अनुसार कच्चेमाल की सूची संलग्न नहीं है।
9. न. 30 विद्युत मंडल विद्युत कनैक्शन प्रमाण–पत्र व नवीनतम बिल की प्रति।
10. योजना की प्रति।
11. वित्तीय संस्थाओं से ऋण संबंधी प्रमाण–पत्र।
12. भूमि/बिल में उत्पादन दिनांक तक किए गए पूंजी विनियोजन की सूची अनुमोदित ब्ल्यू प्रिंट नक्शा एवं चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।
13. महीने में उत्पादपन दिनांक तक किए गए पूंजी विनियोजन की सूची एवं बिल व्हाउचर की प्रति तथा चार्टेड एकाउटेंट का प्रमाण–पत्र
14. उत्पादन विक्रय तथा कच्चामाल खरीद, खपत की जानकारी एवं रोजगार का विवरण
15. कच्चामाल की प्रथम खरीद के बिल की प्रतिलिपि।
16. पंजीकृत क्षमता अनुसार आवाश्यक कच्चे माल का नाम व वार्षिक आवश्यकता।
17. एक घोषणा पत्र की स्थागित मशीनरी नयी है एवं स्थागित भूमि, भनव व मशीनरी उद्योग की आवश्यकता की अनुरूप है।
18. भूमि/भवन के अश्रित्व ग्रहर्णका प्रमाण/किराया नामा या निजी स्वामित्वक संबंधी प्रमाण–पत्र
19. म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल का जल एवं वायु संबंधी अनापत्ति प्रमाण –पत्र।
20. उत्पादन दिनांक से 45/90 दिन की निर्धारित समयाविध में आवेदन न करने में विलंब का कारण चूंकि आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
21. अन्य

––0––

प्रशिक्षित ब्याज अनुदान की मांग का स्टेटमेंट

अवधि दिनांक .... से .... (छैमाही)

बैंक का नाम ....

क्र.	इकाई का नाम व पता	स्थायी पंजीयन क्र./दिनांक	उत्पादन दिनांक	स्वीकृत टर्म लोन		वित्तीय संस्थान द्वारा इकाई का प्रथम किश्त भुगतान करने का दिनांक	पात्रता राशि प्रथम किश्त भुगतान के दिनांक से 3 वर्ष तक	
				राशि	दिनांक		.... से	.... तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बैंक की देय राशि का विवरण		इकाई द्वारा वापिस लौटाई गई राशि		देय दिनांक जिसका ब्याज अनुदान मांगा जा रहा है		देय अवधि के पूर्व दिनांक की बकाया ऋण राशि, देय राशि जिस पर ब्याज अनुदान की मांग की जा रही है (केवल टर्मलोन की शेष राशि का उल्लेख किया जावे)	
दिनांक/देय राशि	ब्याज	दिनांक	वापिस की गई राशि	... से	... तक	दिनांक	शेष राशि
10	11	12	13	14	15	16	17

ब्याज अनुदान दर प्रतिशत	ब्याज अनुदान की राशि	अवधि जिसका ब्याज अनुदान भुगतान किया जा चुका है		ब्याज अनुदान भुगतान की गई राशि		क्या इकाई द्वारा वित्तीय संस्था को देय राशि (मूलधन) ब्याज नियमित रूप से देयक दिनांक को वापिस लोटा दी गई है	रिमार्क
		.... से	... तक	राशि	दिनांक		
18	19	20	21	22	23	24	25

प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये आवेदन पत्र

1. नाम———————————————————————————————
2. लिंग—युवक / युवती——————————————————————————
3. पिता / पति का नाम ————————————————————————
4. पिता / पति का व्यवसाय ——————————————————————
5. डाक हेतु पता ——————————————————————————
   (1) स्थायी पता ——————————————————————————
   ———————————————————————————————————
   (2) वार्ड नं.——————————निकटतम पुलिस स्टेशन ——————————
   (3) कम से कम 3 वर्ष से————————————जिले का निवासी है हाँ / नहीं
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. उम्र (1) जन्मतिथि ————————————————————————
   (2) आवेदन तिथि से समय उम्र वर्ष————————माह————————दिन————————
7. शैक्षणिक योग्यता —(1) शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त———————————————
   (प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
   (2) तकनीकी शिक्षा ——————————————————————
   (प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
8. प्रशिक्षण : (1) संस्था का नाम जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया————————————
   (2) प्रशिक्षण अवधि ——————————————————————
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर एवं दिनांक
   (प्रमाण —पत्र संलग्न करें)
   क्रमांक——————————————————दिनांक————————————————
10. आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग किस श्रेणी का है——————————————
    (सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न करें।)
11. उद्योग / सेवा / व्यवसाय का नाम,जो प्रारंभ करना———————————————चाहते हैं।
    (प्रस्तावित योजना संलग्न प्रारूप संलग्न करें)
12. उद्योग / सेवा / व्यवसाय में अनुभव की जानकारी———————————————
    यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. उद्यम जहां प्रारंभ किया जाना है उसका पता———————————————तथा
    जानकारी हेतु नक्शा / किराया / अनुबंध हो तो संलग्न करें।

14. वर्तमान में परिवार की वार्षिक आय——————————————————————————

(1) स्वयं की आय रू. ——————————————————————————

(2) पिता की आय रू. ——————————————————————————

(3) परिवार के अन्य सदस्यों की आय रू.——————————————————

(4) किराये/ब्याज/कृषि से आय रू.——————————————————————

(5) संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य भाई/बहन की आय रू.——————————————

(शपथ पत्र संलग्न करें)

15. ऋण की राशि : (1) मशीनरी रू.——————————————————————

(2) स्थायी परिसंपत्ति (भवन/फर्नीचर)————————————————

(3) कार्यशील पूंजी रू.——————————————————————

कुल रूपये——————————————————————————

16. मार्जिनमनी, योजना की पांच प्रतिशत व्यवसाय हेतु एवं उद्योग/सेवा के लिये 16.25 प्रतिशत की व्यवस्था की जानकारी——————————————————————————————

17. पुराना ऋण कोई देय हो तो उसकी जानकारी——————————————————————

(1) शासकीय/अशासकीय संस्था का/ बैंक का नाम————————————————

(2) पूरा भुगतान हो चुका अथवा कितना देय शेष है————————————————

18. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारियां सत्य और मेरे पास उपरोक्त योजना हेतु आवेदन जो कि बैंक तथा वित्तीय संस्था के लिये अग्रेषित होना है उसके लिये कोई अन्य वित्तीय स्त्रोत उपलब्ध नहीं है तथा मेरे ऋण स्वीकृत होने पर मैं बैंक नियमों की समस्त शर्तों का पालन करूंगा, तथा ऋण अदायगी हेतु बैंक की शर्तों का पालन को बाध्य हूं एवं समयावधि में ऋण मय ब्याज के बैंक को वापिस करूंगा।

हस्ताक्षर

शपथ पत्र

1. मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ, तथा किसी भी अन्य योजना में पूर्व में कोई बैंक ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही कोई शासकीय अनुदान प्राप्त किया है।
2. मैं अपने स्त्रोतों से इस योजना में मार्जिन मनी के अलावा पूंजी लगाने में असमर्थ हूं।
3. मैं--------------------------जिले का/की 3 वर्ष से अधिक का निवासी हूँ।
4. मेरे परिवार की आय समस्त स्त्रोतों से जिनमें माता/पिता की आय तथा परिवार के साथ रहने वाले अन्य व्यक्तियों की आय----------------रूपये वार्षिक है। इस आय में वेतन, मजदूरी, कृषि धंधा, ब्याज ,किराया, पेंशन आदि पूरे परिवार की सम्मिलित आय है।
5. मैं कभी भी किसी भी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान का भुगतान में डिफाल्टर नहीं रहा हूं।
6. मैं प्रधारमंत्री रोजगार योजना के समस्त नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
7. मैं अपनी प्रगति का विवरण सदैव बैंक तथा शासकीय विभागों को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

शपथगृहीता

प्रमाणीकरण

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी सत्य है तथा कुछ भी इसके अन्तर्गत कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। असत्य जानकारी पाई जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर कर सकेगा।

दिनांक : ----------

स्थान : ----------

शवथगृहीता

रिमार्क :- ऋण वितरण के पूर्व बैंक शाखा में 10/- रू. के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

<u>प्रस्तावित योजना पत्र</u>

1. आवेदक का नाम एवं पता ——————————————————————————————————————
2. किये जाने वाले उद्योग /सेवा/व्यवसाय
   का नाम एवं सामान्य परिचय
3. वार्षिक उत्पादन क्षमता /लक्ष्य एवं
   उत्पादन का प्रकार
4. उत्पादनल प्रक्रिया संक्षेप में
5. भूमि/भवन का विवरण स्वयं का/
   किराये का,यदि किराये का हो तो
   किराया राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
6. मशीनरी तथा उपकरणों का विवरण नाम राशि
   (अ) ————————————————————————रूपये
   (ब) ————————————————————————रूपये
   (स) ————————————————————————रूपये
   कुल मूल्य————————————————————रूपये
7. फर्नीचर एवं साज सज्जा ————————————————————————————————————रूपये
   कुल मूल्य————————————————————————रूपये
8. कुल स्थायी पूंजी निवेश ————————————————————————————————रूपये
   (भूमि/भवन/मशीनरी/उपकरण) राशि————————————————————————————————————रूपये
   फर्नीचर साज सज्जा कुल मूल्य————————————————————————————————रूपये
9. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (एक माह की)————————————————————————————————रूपये
   (अ) आवश्यकता कच्चा माल : कच्चा माल का नाम मात्रा मूल्य
   1.
   2.
   3.
   कुल मूल्य : रूपये

(ब) कर्मचारी / श्रमिक का वेतन : संख्या वेतन

1. कुशल श्रमिक
2. अकुशल श्रमिक
3. एवं अन्य

कुल योग : रूपया

(स) विविध व्यय– (प्रतिमाह)

(1.) भवन किराया ——————————————————————————रूपये

(2.) विद्युत व्यय ——————————————————————————रूपये

(3.) यातायात व्यय ——————————————————————————रूपये

(4.) स्टेशनरी व्यय ——————————————————————————रूपये

(5.) अन्य व्यय ——————————————————————————रूपये

10. कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (प्रतिमाह)

(अ) आवश्यक कच्चा माल ——————————————————————————रूपये

(ब) कर्मचारी / श्रमिक का वेतन ——————————————————————————रूपये

(स) विविध व्यय ——————————————————————————रूपये

11. कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (तीन माह के लिए)

(प्रतिमाह कार्यशील पूंजी X 3) ——————————————————————————रूपये

12. कुल परियोजना लागत :

(अ) कुल स्थायी पूंजी निवेश ——————————————————————————रूपये

(ब) कुल कार्यशील पूंजी की आवश्कता——————————————————————————रूपये

कुल योग——————————————————————————रूपये

13. इकाई स्थापना हेतु ऋण स्त्रोत :

(अ) राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण राशि——————————————————————————रूपये

(ब) उद्यमी द्वारा लगायी जाने वाली——————————————————————————रूपये
मार्जिन मनी (5 से 16.25 प्रतिशत)

14. आवश्यक उत्पादन लागत : प्रतिमाह तीन माह

(अ) कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ————————रूपये —————रूपये

(ब) मशीनरी एवं संयंत्र पर मूल्य ह्रास ————————रूपये —————रूपये
(10 प्रतिशत वार्षिक की दर से)

(स) प्रस्तावित ऋण पर ब्याज ———————रूपये ————रूपये

12 प्रतिशत वार्षिक दर से

15. कुल लाभ :

(अ) कुल विक्रय से प्राप्त राशि ———————रूपये ————रूपये

(ब) कुल उत्पादन लागत ———————रूपये ————रूपये

(स) कुल लाभ ———————रूपये ————रूपये

(कुल विक्रय से प्राप्त आय में घटाइये कुल उत्पादन लागत)

आवेदक के हस्ताक्षर

"प्रधानमंत्री रोजगार योजना"

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले सहपत्र निम्नानुसार है :–

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में मय सहपत्रों के देना होगा।
2. शपथ पत्र सादे कागज पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. आठवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची व आयु संबंधी प्रमाण–पत्र।
4. रोजगार पंजीयन (नवीनीकरण सहित) दोनों ओर की फोटोकॉपी सहित।
5. नवीनतम आय प्रमाण पत्र। जो कि आवेदक के पिता/पति/ससुर के नाम का होना अनिवार्य है।
6. राशनकार्ड (आगे पीछे की फोटोकॉपी सहित) जिसमें हितग्राही का नाम अंकित हो तथा हितग्राही के नाम को रेखांकित (अण्डरलाइन) किया जावे।
7. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, यदि उपलब्ध हो तो लगावें।
8. समक्ष अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछड़ा वर्ग हेतु)
9. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यक्तिगत मामलों में उद्योग/सेवा हेतु 2 लाख, व्यवसाय हेतु एक लाख रूपये)
10. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
11. दो फोटो आवेदन पत्र में चस्पा हो (स्वयं द्वारा प्रमाणित)
12. दो स्वयं के पता लिखे पोस्ट कार्ड।
13. अन्य , यदि कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो।
14. उक्त सभी सहपत्रों की एक–एक प्रति दोनों आवेदन पत्रों के साथ संलग्न हो। जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित हो।
15. जिले का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।
16. आवेदन पत्र, तथा सभी सहपत्रों की फोटोकॉपी में आवेदक हस्ताक्षर करें। आवेदक की फोटो स्वयं के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
17. वाहन हेतु ड्रायविंग लाइसेंस।
18. आवेदन पत्र निरस्त न हो इसके लिए कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र टाइप या स्वच्छ हस्तलिपि में लिखित हो। सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरें तथा संलग्न किए जाने वाले सहपत्र व्यवस्थित लगावें। प्रतिबंधित आयटम के आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक आवेदन पत्र में पूरा स्पष्ट पता अवश्य लिखें।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छतरपुर (म.प्र.)

"प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2005–2006"

योजना की शर्ते / पात्रता

(1.) शिक्षा – आठवीं बोर्ड पास या आई.टी.आई. पास या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कम से कम 6 माह अवधि की तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

(2.) उम्र – योजना अन्तर्गत आवेदन की तिथि को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष की मध्य हो। अनुसूचित जाति / जनजाति / एक्स–सर्विसमेन शारीरिक रूप से विकलांग या महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

(3.) पारिवारिक आय – आवेदक की आय उसकी पत्नी / पति की आय के साथ सम्मिलित रूप से 40000 / – वार्षिक से अधिक न हो एवं आवेदक के माता / पिता की वार्षिक आय भी रूपये 40000 / – वार्षिक से अधिक न हो।

(4.) निवास – आवेदक कम से कम 3 वर्षों से उस क्षेत्र का निवासी हो।

(5.) अन्य – (अ) आवेदक किसी बैंक / वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

(ब) आवेदक द्वारा पूर्व में शासन की किसी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो।

जैसे : 1– आई.आर.डी.पी. 2– नेहरू रोजगार योजना 3–स्वरोजगार योजना

4– स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 5–अंतव्यवसायी योजना 6–खादी बोर्ड की योजना आदि

(6.) आरक्षण– अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण है तथा महिला अल्पसंख्यक आदि के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(7.) परियोजना लागत – प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत व्यक्तिगत मामलों में अधिकतम उद्योग / सेवा हेतु दो लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट आते हैं तथा व्यवसाय हेतु एक लाख रूपये के प्रोजेक्ट आते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी मे अधिकतम 10 लाख रूपये की परियोजना लागत की इकाई स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि परियोजना लागत में प्रत्येक आवेदन का हिस्सा उद्योग / सेवा हेतु दो लाख तथा व्यवसाय हेतु एक से अधिक से न हो।

(8.) मार्जिन मनी / बैंक ऋण – अनुदान आयोग लागत का 15 प्रतिशत होगा। जिसकी अधिकतम सीमा 7500 / – प्रति हितग्राही होगी। बैंकों द्वारा हितग्राही से योजना लागत की 5 प्रतिशत से लेकर 16.25 प्रतिशत तक के अंशदान की मांग की जा सकती है। जिससे बैंकों द्वारा योजना से गया अंशदान एवं अनुदान का योग योजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर बने। परियोजना लागत की 20 प्रतिशत राशि–अनुदान राशि = मार्जिन मनी)

(9.) धरोहर – 100000 / – से अधिक की योजना पर धरोहर प्रतिभूति ली जावेगी।

(10.) प्रशिक्षण– योजना के तहत बैंक द्वारा स्वीकृति के उपरांत आवेदक को निर्धारित दस/बीस दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के बाद ही ऋण वितरण किया जा सकेगा।

(11.) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नौगांव नाका छतरपुर को प्रस्तुत करें।

(12.) ऋण अदायगी हेतु बैंक की शर्ते मान्य करना अनिवार्य होगा।

(13.) अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है ।

(14.) निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर मूल प्रति की छायाप्रति कराकर मूल प्रति छायाप्रति दोनों में आवश्यक सहपत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न कर भेजें। छायाप्रतियों में किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

––0––

दीनदयाल रोजगार योजना हेतु आवेदन सहशपथपत्र

फोटो

1 आवेदक का पूरा नाम

2 पिता/पति का नाम

3 अ. निवास स्थान का पता एवं दूरभाष क्रमांक

ब. पत्राचार का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक

4 शैक्षणिक योग्यता

(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

5 अ. जन्म तारीख

ब. आवेदन दिनांक को उम्र

6 आवेदक का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/सामान्य)

7 रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक

8 मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें

9 प्रस्तावित उद्योग, सेवा, व्यवसाय का नाम

(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करना है)

10 (अ) आवश्यक प्रस्तावित ऋण (ब) आवश्यक मार्जिन मनी राशि

स्थाई	कार्यशील	अन्य	स्वयं द्वारा	योजनांर्तगत वांछित

11 गतिविधि के प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पता

12 प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहॉ हितग्राही अपना प्रकरण भेजना चाहता हो

अ.

ब.

स.

13 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14 तकनीकी अनुभव (यदि कोई हो)

15 पूर्व में शासन की किसी योजना का लाभ लिया हो तो उसका पूर्ण विवरण।

16 शासन की किसी अन्य योजना से भी लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु 1 से 16 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रस्तावित योजना पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता ——

2. किये जाने वाले उद्योग /सेवा/व्यवसाय
का नाम एवं सामान्य परिचय

3. वार्षिक उत्पादन क्षमता /लक्ष्य एवं
उत्पादन का प्रकार

4. उत्पादनल प्रक्रिया संक्षेप में

5. भूमि/भवन का विवरण स्वयं का/
किराये का,यदि किराये का हो तो
किराया राशि प्रतिमाह (रूपयों में)

6. मशीनरी तथा उपकरणों का विवरण नाम राशि

(अ) ————————————————————————रूपये

(ब) ————————————————————————रूपये

(स) ————————————————————————रूपये

कुल मूल्य—————————————————रूपये

7. फर्नीचर एवं साज सज्जा ——————————————————————————————————रूपये

कुल मूल्य————————————————————————रूपये

8. कुल स्थायी पूंजी निवेश ——————————————————————————रूपये
(भूमि/भवन/मशीनरी/उपकरण) राशि——————————————————————————————————रूपये
फर्नीचर साज सज्जा कुल मूल्य——————————————————————————रूपये

9. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (एक माह की)—————————————————————————रूपये

(अ) आवश्यकता कच्चा माल : कच्चा माल का नाम मात्रा मूल्य

1.

2.

3.

कुल मूल्य : रूपये

(ब) कर्मचारी / श्रमिक का वेतन : संख्या वेतन

1. कुशल श्रमिक

2. अकुशल श्रमिक

3. एवं अन्य

कुल योग : रूपया

(स) विविध व्यय– (प्रतिमाह)

(1.) भवन किराया ————————————————————————रूपये

(2.) विद्युत व्यय ————————————————————————रूपये

(3.) यातायात व्यय ————————————————————————रूपये

(4.) स्टेशनरी व्यय ————————————————————————रूपये

(5.) अन्य व्यय ————————————————————————रूपये

10. कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (प्रतिमाह)

(अ) आवश्यक कच्चा माल ————————————————————————रूपये

(ब) कर्मचारी / श्रमिक का वेतन ————————————————————————रूपये

(स) विविध व्यय ————————————————————————रूपये

11. कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता (तीन माह के लिए)

(प्रतिमाह कार्यशील पूंजी X 3) ————————————————————————रूपये

12. कुल परियोजना लागत :

(अ) कुल स्थायी पूंजी निवेश ————————————————————————रूपये

(ब) कुल कार्यशील पूंजी की आवश्कता————————————————————————रूपये

कुल योग————————————————————————रूपये

13. इकाई स्थापना हेतु ऋण स्त्रोत :

(अ) राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण राशि————————————————————————रूपये

(ब) उद्यमी द्वारा लगायी जाने वाली————————————————————————रूपये

(स) दीन दयाल रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त मार्जिन मनी ———————— रूपये

14. आवश्यक उत्पादन लागत : प्रतिमाह तीन माह

(अ) कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ————रूपये ————रूपये

(ब) मशीनरी एवं संयंत्र पर मूल्य ह्रास ————रूपये ————रूपये

(10 प्रतिशत वार्षिक की दर से)

	(स)	प्रस्तावित ऋण पर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से	-------रूपये	-----रूपये
15.	कुल लाभ :			
	(अ)	कुल विक्रय से प्राप्त राशि	-------रूपये	-----रूपये
	(ब)	कुल उत्पादन लागत	-------रूपये	-----रूपये
	(स)	कुल लाभ	-------रूपये	-----रूपये

(कुल विक्रय से प्राप्त आय में घटाइये कुल उत्पादन लागत)

आवेदक के हस्ताक्षर

पात्रतायें

1. 10 वी कक्षा उर्त्तीण या उच्च्च शिक्षित कोई भी बेरोजगार जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 1.50 लाख से कम हो । शेष पात्रतायें प्रधान मंत्री रोजगार योजनाओं के अनुसार ही हैं ।

--0--

म.प्र. शासन जिला व्यापार उद्योग केन्द्र छतरपुर

परिशिष्ट – 1

रानी दुर्गावती – स्वरोजगार योजना

आवेदन पत्र

1 आवेदक का नाम एवं पिता/पति का नाम : ....

....

2. आवेदक का स्थायी पता एवं पत्राचार का पता : ....

....

3. आवेदक का वर्ग (जाति) अनुजाति/अनु.जनजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें : ....

4. शौक्षणिक योग्यता : ....

5. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है या नही : ....

6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय : ....

(गरीबी रेखा की सूची में नाम है या नही) : ....

7. आवेदक का उद्यम/गतिविधि जिसमें इच्छुक है :

(अ)

(ब)

(स)

8. उद्यम का प्रस्तावित स्थल : ....

9. प्रशिक्षित है या नही : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

पावती

श्री .... पिता/पति श्री ....

पता .... दिनांक .... का

रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अंतर्गत पूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ।

आवेदन पत्र में निम्न कमियां है ।

1. 2.

3. 4.

दिनांक

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

पात्रतायें : 8 वी कक्षा उत्तीण कोई भी अनु.जाति/जनजाति का व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष से कम हो इस योजना में आवेदन करने के लिये पात्र है । शेष पात्रतायें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भांति है ।

––0––

अध्याय—2

मैनुअल–6

*

लोक प्राधिकारी के पास या
उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों
का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 जिला व्यापार केन्द्र एवं उद्योग केन्द्र में निम्न दस्तावेज उपलब्ध हैं ।

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्तिं में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	सूचनात्मक	लद्यु उद्योगों की परियोजनायें	छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं	प्रबंधक सूचना जिला उद्योग केन्द्र
2.	सूचनात्मक	स्वरोजगार मूलक परियोजनायें	छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं	प्रबंधक सूचना जिला उद्योग केन्द्र

अध्याय—2

मैनुअल–7

*

नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

<u>नीति निर्धारण हेतु :</u>

5.1 क्या जिला स्तर पर नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श /भागीदारी का कोई प्रावधान है ?

जिला स्तर पर कोई प्रावधान नही है ।

क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हॉ/नही)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था

<u>नीति के क्रियान्वयन हेतु :</u>

5.2 क्या जिला स्तर पर नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से /की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि हॉ तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप से प्रस्तुत करें ।

जिला स्तर पर कोई प्रावधान नही है ।

क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हॉ/नही)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था

अध्याय—2

मैनुअल–8

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबंद्व बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें ।

उक्त बिन्दू लागू नही है ।

अध्याय—2

मैनुअल–9

*

अधिकारियों और कर्मचारियो

की निर्देशिका

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला स्तर पर है, तहसील/जनपद स्तर पर कार्यालय नही है । जिला कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न हैं –

क्र.	नाम	पदनाम	संपर्क पता	फोन नं.
1	श्री एस.के.पाण्डे	महाप्रबंधक	सिविल लाईन, छतरपुर	9893437596
2	श्री आर.सी.पाण्डे	प्रबंधक	शास. भवन क्र. 6, डेरा पहाडी छतरपुर	9826394775
3	श्री यू.एस.अग्रवाल	प्रबंधक	30, छत्रसाल नगर, पन्ना रोड छतरपुर	244370
4	श्री के.पी.लुहारिया	प्रबंधक	304, वार्ड नं. 2, विश्वनाथ कालौनी, छतरपुर	242446
5	श्री आर.बी.सोनी	सहा.प्रबंधक	पठापुर रोड छतरपुर	9826561138
6	श्री ए.के.जैन	सहा.प्रबंधक	दैनिक भाष्कर कार्यालय के पास, शहनाई गार्डन, छतरपुर	9425404233
7	श्री आर.के.नायक	सहा.प्रबंधक	नं.1 के पीछे, विष्णु बिहार कालौनी, छतरपुर	249994, 9425342520
8	श्री एस.पी.मिश्रा	सहा.प्रबंधक	डी.पी.आई.पी. आफिस के पीछे, लोकनाथपुरम, बिजावर नाका, छतरपुर	249549, 9826255979
9	श्री अनुराग श्रीवास्तव	सहा.प्रबंधक	खेरे की देवी के पास, छतरपुर	249739
10	श्री पी.सी.कोरी	सहा.वर्ग–2	हरबंश जीवन के मकान में, चेतगिरी कालौनी, छतरपुर	9826247389
11	श्री पी.एल.रैकवार	सहा.वर्ग–3	वार्ड नं. 20, ग्राम बगौता, देरी रोड, छतरपुर	249938
12	श्री बी.एम.गुप्ता	सहा.वर्ग–3	महाराणा प्रताप नगर, गली नं. 2, सटई रोड, छतरपुर	249949
13	श्री एस.पी.शुक्ला	सहा.वर्ग–3	एग्रीकल्चर कार्यालय, विश्वनाथ कालौनी,	
14	श्री डी.एस.चौहान	सहा.वर्ग–3	बुन्देला जी के मकान में, छतरपुर	
15	श्री राकेश राय	वाहनचालक	संबंद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर	
16	श्री शांतिलाल कौंदर	भृत्य	किशोर सागर, छतरपुर	
17	श्री प्रेमलाल रैकवार	भृत्य	इलाहबाद बैंक के पीछे, छतरपुर	
18	श्री हरीशंकर रैकवार	चौकीदार	इलाहबाद बैंक के पीछे, छतरपुर	

अध्याय—2

मैनुअल–10

*

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धिति

कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिमाह दिया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक/वेतन विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषित भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धिती
1	श्री एस.के.पाण्डे	महाप्रबंधक		–	
2	श्री आर.सी.पाण्डे	प्रबंधक	17941/–	–	कोषालय एवं बैंक के माध्यम से भुगतान
3	श्री यू.एस.अग्रवाल	प्रबंधक	18404/–	–	––"––
4	श्री के.पी.लुहारिया	प्रबंधक	17530/–	–	––"––
5	श्री आर.बी.सोनी	सहा.प्रबंधक	11766/–	–	––"––
6	श्री ए.के.जैन	सहा.प्रबंधक	10534/–	–	––"––
7	श्री आर.के.नायक	सहा.प्रबंधक	10574/–		
8	श्री एस.पी.मिश्रा	सहा.प्रबंधक	9341/–	–	––"––
9	श्री अनुराग श्रीवास्तव	सहा.प्रबंधक	9341/–	–	––"––
10	श्री पी.सी.कोरी	सहा.वर्ग–2	6668/–	–	––"––
11	श्री पी.एल.रैकवार	सहा.वर्ग–3	7346/–	–	––"––
12	श्री बी.एम.गुप्ता	सहा.वर्ग–3	7396/–	–	––"––
13	श्री एस.पी.शुक्ला	सहा.वर्ग–3	7091/–	–	––"––
14	श्री डी.एस.चौहान	सहा.वर्ग–3	6408/–	–	––"––
15	श्री राकेश राय	वाहनचालक	4804/–	–	अनु.वि.अधि.बिजावर कार्यालय से संवंद्ध
16	श्री शांतिलाल कौंदर	भृत्य	5039/–	–	कोषालय एवं बैंक के माध्यम से भुगतान
17	श्री प्रेमलाल रैकवार	भृत्य	5142/–	–	––"––
18	श्री हरीशंकर रैकवार	चौकीदार	4993/–	–	––"––

अध्याय—2

मैनुअल–11

*

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा
धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये :

विभाग को प्राप्त होने वाले अबंटन व व्यय की जानकारी वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 (30 सितंबर 05 तक) निम्न है ।

वर्ष 2004–05 के लिये

क्र.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय
1	प्रचार प्रसार संगोष्ठी प्रदर्शनी	25000/–	30000/–	30000/–	5000/–
2	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	50000/–	10000/–	10000/–	100000/–
3	राज्य लागत पूंजी अनुदान	330000/–	–	–	–
4	ब्याज अनुदान	100000/–	–	–	–
5	परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति	–	–	–	–
6	लघु उद्योगों की संगणना	–	41370	41370	41370/–
7	रानी दुर्गावती योजना अ. मांग संख्या 64 विशेष घटक ब. मांग संख्या 41 आदिवासीउपयोजना	 – 900000/–	 6355000/– 1500000/–	 6355000/– 1500000/–	 635000/– 924944/–
8	दीनदयाल रोजगार योजना	–	1001000/–	1001000/–	351076/–
9	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	–	78750/–	78750/–	78750/–

वर्ष 2005–06 के लिये

क्र.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय
1	प्रचार प्रसार संगोष्ठी प्रदर्शनी	25000/–	7000/–	7000/–	–
2	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	50000/–	–	–	–
3	राज्य लागत पूंजी अनुदान	1000000/–	340024/–	340024/–	300974/–
4	ब्याज अनुदान	200000/–	72355/–	72355/–	72355/–
5	परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति	100000/–	–	–	–
6	लघु उद्योगों की संगणना	–	–	–	–
7	रानी दुर्गावती योजना अ. मांग संख्या 64 विशेष घटक ब. मांग संख्या 41 आदिवासीउपयोजना	2500000/–	 530000/– 213500/–	 530000/– 213500/–	 390814/– –
8	दीनदयाल रोजगार योजना	1700000/–	860000/–	860000/–	–
9	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	–	191000/–	191000/–	–

अध्याय—2

मैनुअल–12

*

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभाग द्वारा निम्नानुसार अनुदान/सुबिधायें प्रदान की गई हैं –

राज्य लागत पूंजी अनुदान **वर्ष 2004–05**

क्र	योजना का नाम	लाभार्थी का नाम व पता	गतिविधि	प्रदाय अनुदान/मार्जिन राशि/पात्रता प्रमाण पत्र	रिमार्क
1	मेें. मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि. गल्ला मण्डी छतरपुर	चटकनी, कब्जा, कुंदा, सिलेण्डर निर्माण	1,11,174/–	वितरित वर्ष 2005–06 में
2	मेें. राजीव इंजीनियरिंग, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री राजीव रूसिया, चौबे नर्सिंग होम के बगल में, छतरपुर	ट्राली, पानी की टंकी, तेल संग्रहण टेंक, आदि	39,050/–	वितरण किया जाना शेष है
3	मेें. एम.के.इण्डस्ट्रीज, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि. गल्ला मण्डी छतरपुर	नट निर्माण	1,89,800/–	वितरित वर्ष 2005–06 में

विक्रय कर पात्रता प्रमाण–पत्र **वर्ष 2004–05**

1	मेें. राजीव इंजीनियरिंग, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री राजीव रूसिया, चौबे नर्सिंग होम के बगल में, छतरपुर	ट्राली, पानी की टंकी, तेल संग्रहण टेंक, आदि	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 7 वर्ष जारी हो गया है
2	मेें. मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि. गल्ला मण्डी छतरपुर	चटकनी, कब्जा, कुंदा, सिलेण्डर निर्माण	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 7 वर्ष जारी होना शेष है
3	में खजुराहो आयुर्वेदिक फार्मेसी, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री गिरीश कुमार दुवे, खरे की देवी के पास, छतरपुर	आयुर्वेदिक दवायें	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 7 वर्ष जारी हो गया है

प्रवेश कर **वर्ष 2004–05**

1	में. मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि. गल्ला मण्डी छतरपुर	चटकनी, कब्जा, कुंदा, सिलेण्डर निर्माण	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 5 वर्ष जारी होना शेष है
2	में खजुराहो आयुर्वेदिक फार्मेसी, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री गिरीश कुमार दुवे, खरे की देवी के पास, छतरपुर	आयुर्वेदिक दवायें	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 5 वर्ष जारी हो गया है
3	में. राजीव इंजीनियरिंग, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री राजीव रूसिया, चौबे नर्सिंग होम के बगल में, छतरपुर	ट्राली, पानी की टंकी, तेल संग्रहण टेंक, आदि	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 5 वर्ष जारी हो गया है
4	में. गंगा इन्टर प्राईजेज, सागर रोड,छतरपुर म.प्र.	प्रो. गुरूचरन सिंह एवं पार्टनर	हैण्डपंप पार्टस, हैण्ड पंप टूल किट, गेट, ग्रिल आदि निर्माण	पात्रता प्रमाण पत्र	पात्रता 5 वर्ष जारी हो गया है

(वर्ष 2005–06 में जानकारी निरंक है)

ब्याज अनुदान **वर्ष 2005–06**

1	में. एम.के.इण्डस्ट्रीज, बैलगाड़ी प्रोजेक्ट ऐरिया, छतरपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि. गल्ला मण्डी छतरपुर	नट निर्माण	रू. 26388.00	वर्ष 05–06 में वितरित
2	में बजरंग दाल मिल, बडामलहरा	प्रो. राहुल असाटी, बडामलहरा	चना दाल	रू. 16089.00	वर्ष 05–06 में वितरित
3	में. डायमण्ड ग्रेनाईट, ग्राम रानीपुरा, तह.लौड़ी	श्रीमती उमा त्रिपाठी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी निवासी लौड़ी	ग्रेनाईट टाईल्स निर्माण	रू. 29878.00	वर्ष 05–06 में वितरित

अध्याय—2

मैनुअल–13

*

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रप्तिकर्त्ताओं के संबंध में विवरण

14. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रप्तिकर्त्ताओं के संबंध में विवरण –

विभाग के लिये बिन्दू लागू नही

अध्याय—2

मैनुअल–14

*

इलेक्ट्रानिक रूप में

उपलब्ध सूचनायें

15. इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रनिक फार्मेट में हो–

इलेक्ट्रानिक फार्मेट उपलब्ध नही है ।

अध्याय—2

मैनुअल–15

*

सूचना प्राप्त करने के लिये
नागरिकों को उपलब्ध
सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुॅचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण निम्न है –

- अखबारों के द्वारा
- सूचना पटल
- अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- उपलब्ध विभागीय मैनुअल

अध्याय—2

मैनुअल–16

*

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,
पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां

विभाग में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है –

लोक प्रधिकरण का नाम : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर

सहायक लोक सूचना अधिकारी –

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस.पी.मिश्रा	सहायक प्रबंधक	07682	248238	249549	–	–	लोकनाथपुरम, छतरपुर

लोक सूचना अधिकारी –

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री यू.एस.अग्रवाल	प्रबंधक	07682	248238	244370	–	–	छत्रसाल नगर, छतरपुर

विभागीय अपीलेट अथोरिटी –

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस.के.पाण्डे	महाप्रबंधक	07682	248238	241884	–	–	सिचाई कालौनी, छतरपुर

अध्याय—2

मैनुअल–17

*

अन्य उपयोगी जानकारियां

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर

17.1 सूचना प्राप्त करने के संबंध में –

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन निर्धरित प्रपत्र पर देना होगा ।
- आवेदन का प्रारूप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
- आवेदन के साथ निर्धारित फीस रू. 10/– जमा करना होगी ।
- गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, निःशुल्क आवेदन लिया जावेगा तथा जानकारी भी निःशुल्क प्रदान की जावेगी ।
- आवेदन पत्र मान्य होने पर बांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने की सूचना आवेदक को दी जावेगी तथा निर्धारित दिनांक को आवश्यक शुल्क जमा करने पर आवेदक बांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण, प्राप्त/अवलोकन कर सकेगा ।
- आवेदन अमान्य होने पर आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

17.2 सूचना/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क –

जानकारी प्रदान करने / निरीक्षण हेतु संचालनालय से निर्देश प्राप्त होने तक शुल्क निम्नानुसार प्राप्त किया जायेगा ।

1.	जानकारी की फोटोकापी /नकल	–	रू. 2 प्रति पृष्ठ	
2.	नस्ती अवलोकन /निरीक्षण हेतु	–	प्रथम एक घंटा	रू. 50/–
			आगे प्रत्येक 15 मिनिट हेतु प्रगामी अतिरिक्त शुल्क	रू. 25/–

आवेदन अमान्य होने पर आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी/महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र को रू. 50/– फीस के साथ अपील कर सकेगा। जिसके निराकरण की समय सीमा 50 दिवस है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत

1 आवेदक का नाम : ....

2. पूरा पता / ई–मेल / फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है : ....

....

3. दूरभाष क्रमांक : ....

4. आवेदन देने का दिनांक : ....

5. कार्यालय का नाम : ....

6. चाही गई जानकारी का विवरण : ....

7. क्या चाहते है : नकल / निरीक्षण / रिकार्ड का निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना

8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी
(बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं) : रूपये 10 / – नगद /

9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं : हॉ / नही
यदि हॉ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक : ....

हस्ताक्षर आवेदनकर्त्ता

पावती

1. आवेदन प्रापत होने का दिनांक : ....

2. आवेदनकर्त्ता को बांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थिति होने का दिनांक : ....

3. संबंधित शाखा / अधिकारी जहॉ से जानकारी उपलब्ध होगी : ....

....

दिनांक ....

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक
सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम (रबर सील)

——0——